संख्या-1033/33-3-2022-345/2016 टी0सी0-1

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, पंचायती राज विभाग/ नियोजन विभाग/ वित्त विभाग/ राजस्व विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग/ बेसिक शिक्षा विभाग/ समाज कल्याण विभाग/ महिला एवं बाल कल्याण विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग/ कृषि विभाग/ दिव्यांग कल्याण विभाग/दुग्ध विकास/ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन/ सामाजिक वानिकी/ पर्यावरण विभाग/ लघु सिचाई विभाग/ लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग/भूमि विकास/ खेल एवं युवा कल्याण/ इलेक्ट्रानिक्स एवं आई.टी. विभाग/ गृह विभाग एवं अन्य।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 27 मई, 2022

विषय:– Localization of SDGs (सतत् विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण) के क्रियान्वयन हेतु समस्त विभागों के स्तर से आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों ने सितंबर 2015 में 17 सतत् विकास लक्ष्यों और इनके 169 उद्देश्यों को अंगीकार किया है जिसमें भारत भी सम्मलित है। सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्थानीय सरकारों की अहम भूमिका है।

2– भारतीय संविधान में उल्लिखित पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से जुड़े कार्यों का नियोजन और उनके क्रियान्वयन में प्रभावीशाली भूमिका निभाना पंचायतों की जिम्मेदारी है। सतत् विकास लक्ष्यों के कई उद्देश्य इन्हीं विषयों के दायरे में आते है। प्रदेश में ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें एवं जिला पंचायतें अपनी कार्ययोजना तैयार कर रही हैं, जिससे उन्हें अपनी योजनाओं को सतत् विकास लक्ष्यों के साथ समाहित करने का मौका मिला है। विभिन्न राज्य और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त होने वाले संसाधनों को पंचायत स्तर पर जुटाया जा सकता है और उनका लाभ उठाया जा सकता है।

3– पंचायती राज मंत्रालय ने निम्नलिखित 09 विषयों के माध्यम से एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है:–

विषय	विषय (Theme) 01– गरीबी मुक्त गॉव
संबंधित विभाग	कृषि, ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, पशुधन और डेयरी, महिला एवं बाल कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता, पेयजल एवं स्वच्छता, खाद्य एवं रसद तथा पंचायती राज विभाग।
स्थानीय लक्ष्य	• संबंधित विभागों द्वारा आजीविका और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत सभी पात्र लाभार्थियों का व्यापक चयन। • व्यक्तिगत/सामूहिक उद्यमों के माध्यम से आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन। • गरीब और कमज़ोर परिवारों को पूरे वर्ष रियायती मूल्य पर पर्याप्त भोजन की उपलब्धता। • किसानों की आय में वृद्धि। • बुनियादी सेवाओं (आवास, पानी और स्वच्छता) तक पहुॅच सुनिश्चित करना। • मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी आधारित रोज़गार की उपलब्धता, आदि।

DelHi/SarvshGO

विषय	विषय (Theme) 02– स्वस्थ गॉव
संबंधित विभाग	महिला एवं बाल कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता, पंचायती राज, आयुष तथा युवा कल्याण विभाग।
स्थानीय लक्ष्य	• **Stunted Growth** की समस्या का समाधान। • किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया की समस्या में कमी। • कम लागत, अत्यधिक पौष्टिक और स्थानीय रूप से प्राप्त अनाज, सब्जियॉ, फल आदि के सेवन को बढ़ावा देना। • संचारी रोगों के रोकथाम और उसके उपचार हेतु उपाय। • मातृ मृत्य और बाल मृत्यु दर में कमी। • सभी के लिये चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान कराना, आदि।
विषय	विषय (Theme) 03– बाल मैत्री गॉव
संबंधित विभाग	महिला एवं बाल कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, ग्राम्य विकास, पंचायती राज तथा युवा कल्याण विभाग।
स्थानीय लक्ष्य	• बच्चों हेतु बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता तथा स्कूल में शत्–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना। • बाल श्रम, बाल विवाह तथा बाल तस्करी मामलों को शून्य करना। • बच्चों हेतु सभी प्रकार की हिंसा से सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना। • दिव्यांग बच्चों के लिये शिक्षा तक समान पहुॅच सुनिश्चित करना। • अभिभावक शिक्षक संघ/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, आदि।
विषय	विषय (Theme) 04– पर्याप्त जल युक्त गॉव
संबंधित विभाग	कृषि, ग्राम्य विकास, महिला एवं बाल कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, राजस्व तथा पंचायती राज विभाग।
स्थानीय लक्ष्य	• सभी को पर्याप्त साफ और पीने योग्य पानी की उपलब्धता। • समुदाय की गॉव में स्वच्छता सुविधाओं तक पहुॅच सुनिश्चित करना। • व्यक्तिगत शौचालय का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करना। • घरों से निकले गन्दे पानी के उपचार और शुद्धिकरण का तंत्र (किचन गार्डन, सोख्ता गड्ढा, लीच पिट आदि) विकसित करना। • भूजल पुनर्भरण, आर्सेनिक संदूषण और वर्षा जल संचयन की आवश्यकता पर समुदाय को संवेदित करना। • सभी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करना, आदि।
विषय	विषय (Theme) 05– स्वच्छ और हरित गॉव
संबंधित विभाग	कृषि, ग्राम्य विकास, पशुधन और डेयरी, पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यावरण एवं वन, राजस्व, मत्स्य पालन तथा पंचायती राज विभाग।
स्थानीय लक्ष्य	• सोलर ऊर्जा के उपयोग को बढावा देना। • 100% खुले में शौच मुक्त पंचायत। • पौधरोपण एवं नर्सरी बेड तैयार कर हरियाली सुनिश्चित करना। • ईधन की लकड़ी का प्रयोग कम कराना। • प्रकाश, घरेलू उपकरणों, खाना पकाने, सिंचाई के लिए सभी तक ऊर्जा के उपयोग तक पहुंच सुनिश्चित करना।

	• जैव–विविधता और परिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और रखरखाव सुनिश्चित करना, आदि।
विषय	**विषय (Theme) 06– आत्मनिर्भर बुनियादी ढ़ांचे वाला गॉव**
संबंधित विभाग	पेयजल एवं स्वच्छता, ग्राम्य विकास, इलेक्ट्रानिक्स एवं आई.टी. विभाग, दूरसंचार तथा पंचायती राज विभाग।
स्थानीय लक्ष्य	• सड़क प्रकाश, पाइप पेयजल व्यवस्था, व्यक्तिगत शौचालय, ग्रामीण आवास, बस स्टैंड, पुलिया/पुल निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत सचिवालय तथा खेल के मैदानों की स्थापना। • पेयजल–शौचालय–स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएससी) हेतु गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना की उपलब्धता। • सभी मौसमों में सड़कें/सम्पर्क मार्ग, सोलर स्ट्रीट लाइट, सभी के लिये पक्के घरों की उपलब्धता। • समुदाय स्तर पर सौर उर्जा के उपयोग को बढावा देना। • ढ़की नालियों द्वारा जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना, आदि।
विषय	**विषय (Theme) 07– सामाजिक रूप से सुरक्षित गॉव**
संबंधित विभाग	गृह, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, महिला एवं बाल कल्याण, स्कूली शिक्षा और साक्षरता, कौशल विकास और उद्यमिता तथा पंचायती राज विभाग।
स्थानीय लक्ष्य	• गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के जीवन में सुधार लाने हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना। • एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) अन्तर्गत बच्चों और गर्भवती महिलाओं का शत्–प्रतिशत् नामांकन सुनिश्चित करना। • लाभकारी रोज़गार प्रदान करना, उपर्युक्त बुनियादी ढांचा तथा असमानता और सभी प्रकार के भेदभाव में कमी लाना, आदि।
विषय	**विषय (Theme) 08– सुशासन वाला गॉव**
संबंधित विभाग	पेयजल एवं स्वच्छता, ग्राम्य विकास, इलेक्ट्रानिक्स एवं आई.टी., दूरसंचार तथा पंचायती राज विभाग।
स्थानीय लक्ष्य	**सुशासन के स्तम्भ** • <u>टीम वर्क</u> o पंचायती राज संस्थाओं एवं स्वयं सहायता समूह के मध्य अभिसरण। o गांव में साझेदारी एवं सहयोग स्थापित करना। o ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में विभिन्न संस्थाओं/हितधारकों के मध्य समन्वय और अभिसरण, आदि। • <u>प्रौद्योगिकी</u> o प्रौद्योगिकी के प्रयोग से बेहतर नागरिक सेवाओं को बढावा देना। o जन सेवा केन्द्र स्थापित करके नागरिक घोषणा पत्र अनुसार सेवाओं का आदान प्रदान करना। o प्रौद्योगिकी के प्रयोग से बेहतर वित्तीय एवं सम्पत्ति प्रबन्धन, आदि। • <u>समयबद्धता</u> o ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्धारित समयावधि में निर्माण। o ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठकों का आयोजन एवं वैधानिक लेखों का अनुरक्षण।

	○ सरकारी विभागों एवं संस्थाओं की विभिन्न गतिविधियों के अनुश्रवण द्वारा विकास को सुनिश्चित करना, आदि। • <u>पारदर्शिता</u> ○ दीवार लेखन के माध्यम से सूचनाओं का प्रसार। ○ लाभार्थियों तथा परियोजनाओं का प्रमुख स्थानों पर दिवार लेखन। ○ निधि का उपयोग। (ग्राम सभा में अनुमोदन के द्वारा) आदि। • <u>परिवर्तन/रूपांतरण</u> ○ क्षमता संवर्धन ○ समावेशी विकास ○ स्वयं की आय के स्रोत, आदि।
विषय	**विषय (Theme) 09– महिला हितैषी गॉव**
संबंधित विभाग	गृह, महिला एवं बाल कल्याण, पशुधन एवं डेयरी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, ग्राम्य विकास, शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता, श्रम और रोज़गार तथा पंचायती राज विभाग।
स्थानीय लक्ष्य	• महिला सभा का आयोजन। • महिलाओं एवं बलिकाओं के विरूद्ध अपराधों पर अंकुश लगाना। • सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित् करना। • सामाजिक–राजनैतिक एवं आर्थिक गतिविधियों एवं समुदाय आधारित संगठन में महिलाओं की प्रतिभागिता को बढ़ाना। • महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। • महिलाओं के लिए बैंकिंग सेवा की सुविधा। • विद्यालयों में बालिकाओं के कुल नामांकन और प्रतिधारण के लिए वातावरण बनाना, आदि।

4– सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु आवश्यक है कि सभी संबंधित विभाग बेहतर समन्वयन के साथ संयुक्त रूप में अग्रणी भूमिका निभायें। उक्त पर रणनीति बनाने एवं विषयवार प्रगति के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु **शासनादेशः 1824(1)/33–3– 2015–10 जी.आई./2015 दिनांक 26 जून, 2015 द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में <u>वित्त आयोग एवं अन्य मदों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि के नियोजन एवं क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण</u> हेतु पूर्व गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति** को निम्नवत विस्तारित किया जाता है:–

क्र.सं.	पदनाम	विभाग	समिति में स्तर
1.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन	–	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	नियोजन विभाग	उपाध्यक्ष
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	पंचायती राज विभाग	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	वित्त विभाग	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	कृषि विभाग	सदस्य
8.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
9.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	गृह विभाग	सदस्य
10.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	इलेक्ट्रानिक्स एवं आई.टी. विभाग	सदस्य
11.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	युवा कल्याण विभाग	सदस्य
12.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	शिक्षा विभाग	सदस्य
13.	महानिदेशक/अपर निदेशक/उपनिदेशक	दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान	सदस्य

14.	प्रमुख सचिव / सचिव	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	सदस्य
15.	प्रमुख सचिव / सचिव	समाज कल्याण विभाग	सदस्य
16.	प्रमुख सचिव / सचिव	पशुपालन विभाग	सदस्य
17.	प्रमुख सचिव / सचिव	खाद्य एवं रसद विभाग	सदस्य
18.	प्रमुख सचिव / सचिव	कौशल विकास और उद्यमिता	सदस्य
19.	प्रमुख सचिव	श्रम और रोज़गार	सदस्य
20.	आयुक्त	ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
21.	निदेशक	पंचायती राज विभाग	सदस्य सचिव
22.	यूनिसेफ, सी3, एच.सी.एल., वाटर ऐड, जी.आई.जेड., वर्ल्ड विज़न, टाटा ट्रस्ट आदि सामाजिक संस्थायें।	—	विशेष आमंत्री

समिति के दायित्व

1. एस.डी.जी. के स्थानीयकरण संबंधी प्रगति की समीक्षा तथा अर्न्तविभागीय समन्वय सुनिश्चित कराना।
2. त्रिस्तरीय पंचायतों के स्तर पर क्रियान्वित किये जा रहे विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का अनुश्रवण।
3. विभागीय रोडमैप को बेहतर बनाने हेतु सुझाव देना तथां समय–समय पर क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु सुझाव देना।

5– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संबंधित विभाग उक्तानुसार सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु रोड़मैप तैयार कर अपनी भूमिका के दृष्टिगत आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर सदस्य सचिव त्रैमासिक उक्त समिति की बैठक कराना सुनिश्चित करेगें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

27.5.22

(मनोज कुमार सिंह)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

पंचायती राज अनुभाग–3 ~~/1033/1/~~2015 तद्दिनांक। संख्या व

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ अफसर, कृषि अत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), उ.प्र.।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र.।
8. यूनिसेफ, सी3, एच.सी.एल., वाटर ऐड, जी.आई.जेड., वर्ल्ड विज़न, टाटा ट्रस्ट आदि संस्थाओं को सूचनार्थ।

आज्ञा से

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।